न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 82 / 2019

1 गोपाल कंवर पुत्री करणसिंह जाति राजपूत निवासी मुकन्दपुरा तहसील धोद जिला सीक।

अपीलांट

बनाम

1 श्रीपाल सिंह पुत्र करणसिंह।
2 भंवरसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह।
3 भंवर कंवर पत्नी लक्ष्मणसिंह।
4 सिरे कंवर पत्नी मदनसिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण मुकन्दपुरा तहसील धोद जिला सीकर।
5 उप पंजियक सीकर वर्तमान उप पंजीयक धोद।
6 तहसीलदार सीकर वर्तमान तहसील धोद।
7 पी.एन.बी. शाखा कृषि उपज मंडी सीकर।

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्व निर्णय व प्राथमिक डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद दावा संख्या 177 / 2012 बी.टी. नम्बर 296 / 2014 उनवानी श्रीपाल सिंह बनाम भंवरसिंह दिनांकित 28.05.2016 जिसके तहत अपीलांट का काउन्टर वाद खारिज करके प्राथमिक डिक्री जारी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री गोविन्द सिंह, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री जितेन्द्र सिंह शेखावत, अधिवक्ता रेस्पोडेंट
3. श्री गणपतलाल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 08.04.2022

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद द्वारा मुकदमा नम्बर 177/2012 में पारित निर्णय दिनांक 28.05.2016 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 ने रेस्पोडेंट संख्या 2 ता 7 के विरूद्व न्यायालय सहायक कलेक्टर मु0 सीकर के समक्ष एक वाद बाबत बंटवारा, स्थाई निषेधाज्ञा व रिकार्ड संशोधन का ग्राम मुकन्दपुरा तहसील धोद जिला सीकर की तन में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 106 रकबा 0.13 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 213 रकबा 2.00 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 234 रकबा 2.41 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 239 रकबा 2.79 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 248 रकबा 3.38 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 252 रकबा 2.28 हैक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 12.99 हैक्टेयर के बाबत पेश कर रेस्पोडेंट संख्या 1 ने रेस्पोडेंट संख्या 2 ता 7 को प्रतिवादी के रूप में पक्षकार संयोजित करते हुए वाद पेश किया जिसे विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन वाद दर्ज कर नोटिस जारी किये गये है। इस वाद में अपीलांट आदेश 1 नियम 10 के तहत प्रतिवादी संख्या 7 कायम होकर जवाब दावा व काउन्टर क्लेम विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया था। विचारण न्यायालय ने अपीलांट को सूचित किये बिना पत्रावली कैम्प कोर्ट में रखकर अपीलांट का काउन्टर क्लेम खारिज कर दिया एवं प्राथमिक डिक्री जारी कर दी। इसकी अपीलांट को जानकारी होने

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन सजस्व अपील अधिकारी
सीकर

पर जानकारी से अन्दर मियाद धारा 5 के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि इस वाद में अपीलांट आदेश 1 नियम 10 के तहत प्रतिवादी संख्या 7 कायम होकर जवाब दावा व काउन्टर क्लेम विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया था। विचारण न्यायालय ने अपीलांट को सूचित किये बिना पत्रावली कैम्प कोर्ट में रखकर अपीलांट का काउन्टर क्लेम खारिज कर दिया एवं प्राथमिक डिक्री जारी कर दी। इसकी अपीलांट को जानकारी होने पर जानकारी से अन्दर मियाद धारा 5 के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा विधिक प्रकिया की पालना किये बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। अपील स्वीकार की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.एल.डब्ल्यू 2006 (1) आर.जे. पेज 276, आर.आर.टी. 2006(2) पेज 1112 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि का पक्षकारान में आपस में बाहमी विभाजन कर रखा है एवं अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। अपीलांट की शादी के समय उसको उसका हिस्सा दे दिया गया था। वर्तमान में विवादित भूमि पर न तो अपीलांट का कोई हक हिस्सा है न ही कब्जा काश्त है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपीलांट की अपील मियाद बाहर है। विलम्ब का समुचित कारण अंकित नही किया है। अत अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वाद में अपीलांट आदेश 1 नियम 10 के तहत प्रतिवादी संख्या 7 कायम होकर जवाब दावा व काउन्टर क्लेम विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया था। विचारण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय ने अपीलांट को सूचित किये बिना पत्रावली कैम्प कोर्ट में रखकर अपीलांट का काउन्टर क्लेम खारिज कर दिया एवं प्राथमिक डिक्री जारी कर दी। इसकी अपीलांट को जानकारी होने पर जानकारी से अन्दर मियाद धारा 5 के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा विधिक प्रकिया की पालना किये बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

प्रकरण में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुये स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कन्डोन किया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि मूलवाद एवं अपीलांट के काउन्टर क्लेम पर उभयपक्ष की साक्ष्य प्राप्त कर विधिक प्रकिया अनुसार गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.04.2022 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 08.04.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर